रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 1999/पौष 14, 1920
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 1999/PAUSA 14, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1999

सा. का. नि. 12(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास धनराशि जमा कराने का तरीका) नियम, 1998 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सक्षम प्राधिकारी के पास धन जमा कराने का तरीका,—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कार्यान्वयन एजेंसी अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित धनराशि जमा कराएगी—

(क) अधिनियम की धारा 3(छ) के अधीन निर्धारित राशि, और

(ख) जहां अधिनियम की धारा 3(छ) के अधीन माध्यस्थ द्वारा निर्धारित राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि से अधिक हो तो माध्यस्थ द्वारा निर्णीत अधिक राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी अथवा माध्यस्थ द्वारा निर्धारण अथवा निर्णय, जैसा भी मामला हो, किए जाने के सात दिन के भीतर मांग पत्र के जरिए सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त राशि को भारत के लोक लेखे में एक अलग लोक जमा खाते में जमा कराएगा और ऐसे जमा धन पर अधिनियम की धारा 3(ज) की उप-धारा (2) से (4) के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ—

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) से है।

(ख) अभिव्यक्ति "कार्यान्वयन एजेंसी" का अभिप्राय वही है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली, 1957 के नियम 2 के खंड (घ) के अधीन इसके लिए निर्धारित है।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-11012/1/97-डी-I]

के. आर. [illegible] सं [illegible] सर्ी

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1999

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways (manner of depositing the amount by the Central Government with the competent authority for acquisition of land) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The manner of depositing money with the competent authority,—

(1) Subject to the provisions of the Act, the executing agency authorised by the Central Government in this behalf shall deposit,—

(a) the amount determined under section 3G of the Act, and

(b) where the amount determined by the arbitrator under section 3G of the Act is in excess of the amount determined by the competent authority, the excess amount together with interest, if any, awarded by the arbitrator, within seven days of such determination or award by the competent authority or by the arbitrator, as the case may be, with the competent authority through demand draft.

(2) The competent authority shall deposit the amount received under sub-rule (1) in a separate Public Deposit Account in the Public Account of India and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 3H of the Act shall apply to such deposit.

Explanation—For the purpose of this rule,—

(a) 'Act' means the National Highways Act, 1956 (48 of 1956),

(b) the expression 'executing agency' shall have the same meaning as assigned to it under clause (d) of rule 2 of the National Highways Rules, 1957.

[F. No. RW/NH-11012/1/97-D-I]
K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1999.